ऑन लाईन नं. GCMS 2026/12

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 04/2026

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री नितेश बंसल पुत्र श्री निरंजन लाल (विक्रेता व प्रोपराईटर), मैसर्स– श्री गौ संस्कृति धाम संस्था, श्रीगौलोक धाम, 14 जैड, करणपुर रोड, श्रीगंगानगर, निवासी 48 ई ब्लॉक, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांकः 15.05.2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खादद्य सुरक्षा अधिकारी का राज० गजट नोटिफिकेशन क्रमांक–संख्या प.5 (01) चिस्वा / ग्रुप–3 / ई–5095/2024 दिनांक 28.06. 2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक–आयुक्ता/संस्था. /2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था. /2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.10.2025 को समय 05:00 पी.एम. बजे को मैसर्स– श्री गौ संस्कृति धाम संस्था, श्री गौलोक धाम 14 जैड, करणपुर रोड, श्रीगंगानगर, निवासीः–48 ई ब्लॉक, श्रीगंगानगर पर पहुंचे, मौके **श्री नितेश बंसल पुत्र श्री निरंजन लाल (विक्रेता व प्रोपराइटर)** को अपना परिचय देकर उक्त संस्थान के निर्माण के ईकाई का निरीक्षण कर संस्थान पर तैयार बडी 10 परात में रखे **रसभरी मिठाई** के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वंय को संस्थान का प्रोपराइटर बताया व उक्त संस्थान पर तैयार बडी 10 परात में लगभग 120 किलो खाद्य पदार्थ **रसभरी मिठाई (छैना, चीनी, सूजी, आरारोट, एडिबल फूड कलर लाइम जूस व पी ग्रीन से निर्मित)** व आमजन में विक्रय वास्ते होना बताया, इसी खाद्य पदार्थ रसभरी मिठाई में मिलावट व गुणवत्ताहीन होने का शक होने पर प्रोपराइटर से नमूना जॉच वास्ते खाद्य पदार्थ रसभरी मिठाई का नमुना लेने की इच्छा प्रोपराइटर को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। फार्म नं 5ए न्यायनिर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं प्रोपराइटर तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री नितेश बंसल पुत्र श्री निरंजन लाल (विक्रेता व प्रोपराइटर)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खायकारोबारकर्ता एवं श्री नितेश बंसल पुत्र श्री

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

निरंजन लाल (विक्रेता व प्रोपराइटर) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म से 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **रसभरी मिठाई** 02 किलोग्राम को विक्रेता से खरीद कर लिया। प्रोपराइटर का मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ रसभरी मिठाई का नगद भुगतान 200 रुपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर प्रोपराइटर तथा गवाहन के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **रसभरी मिठाई** को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40–40 बूंद डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–3069** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एव खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारो नमूना भागों को. अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप न **के–3069** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक, गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नंगूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपठी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं प्रोपराइटर के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारो नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारी नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर प्रोपराईटर एवं प्रोपराईटर तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री नितेश बंसल पुत्र श्री निरंजन लाल (विक्रेता व प्रोपराइटर)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S./1341/Act/2025/1341 Dated 13.10.2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-3069 SubStandard Food** होना पाया गया। खाद्यकारोबारकर्ता को जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु खाद्यकारोबारकर्ता ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **नितेश बंसल पुत्र श्री निरंजन लाल (विकेता व प्रोपराईटर), मैसर्स– श्री गौ संस्कृति धाम संस्था, श्रीगौलोक धाम, 14 जैड, करणपुर रोड, श्रीगंगानगर, निवासी 48 ई ब्लॉक, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का **रसभरी मिठाई** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 27.01.2026 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी म.न. 48 ई ब्लॉक, श्रीगंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी मैसर्स **श्री गौ संस्कृति धाम संस्था, श्रीगौलोक धाम, 14 जैड, करणपुर रोड, श्रीगंगानगर** का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 761/26 दिनांक 2404.2026 का दिया है कि आपकी दुकान में रसभरी मिठाई की जांच की गई तो मिठाई सबस्टेंडर्ड फूड पाया गया है, प्रार्थी ने उक्त रसभरी मिठाई में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। उक्त प्रकरण संख्या 04/2026 है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर (राज.)

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **रसभरी मिठाई** का सैम्पल **K-3069** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./ 1341/Act/2025/1341 Dated 13.10.2025 **SubStandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम के तहत सही प्रकिया अपनाते हुए नियमानुसार नमूने का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Rasbhari Mithai"** bearing Code No and Sr. No. **K-3069**, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Substandard Food as extracted fat does not conform the standard

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

of milk fat as prescribed in food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **नितेश बंसल पुत्र श्री निरंजन लाल (विक्रेता व प्रोपराईटर), मैसर्स– श्री गौ संस्कृति धाम संस्था, श्रीगौलोक धाम, 14 जैड, करणपुर रोड, श्रीगंगानगर, निवासी 48 ई ब्लॉक, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण **नितेश बंसल पुत्र श्री निरंजन लाल (विक्रेता व प्रोपराईटर), मैसर्स– श्री गौ संस्कृति धाम संस्था, श्रीगौलोक धाम, 14 जैड, करणपुर रोड, श्रीगंगानगर, निवासी 48 ई ब्लॉक, श्रीगंगानगर** को राशि **रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)